

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

:: मूल वाद मे अंतिम डिक्री ::
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 87/2018 राजस्व वाद

उनवान

1. छीतरमल पिता सोहनलाल महाजन जागेटिया नि0 स्पाहेलीखुर्द हाल मुकाम भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज.)
2. अंकित पिता छीतरमल महाजन जागेटिया नि0 स्पाहेलीखुर्द हाल मुकाम भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
3. अर्चित पिता छीतरमल महाजन जागेटिया नि0 स्पाहेलीखुर्द हाल मुकाम भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)

-----वादी गण

बनाम

1. शंकरलाल पिता रामदयाल महाजन नि0 रूपाहेलीकला तहसील हूरडा जिला भीलवाडा (राज.)
2. पमपम पुत्री सुनिल कुमार ना.बा.व.बि. माता सुमन पत्नि सुनिल कुमार महाजन नि0 रूपाहेलीकला तहसील हूरडा जिला भीलवाडा (राज.)
3. सुमन पत्नि सुनिल कुमार महाजन नि0 रूपाहेलीकला तहसील हूरडा जिला भीलवाडा (राज.)
4. चन्द्रप्रकाश पिता जमनालाल महाजन नि0 रूपाहेलीकला तहसील हूरडा जिला भीलवाडा (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाडा (राज.)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री मुरारी जोशीवादीगण अधिवक्ता
2. परोकार सरकार..... विपक्षी क्रम 05

दिनांक– 17.07.2018

वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादी से अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य मंजुर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जाती है कि ग्राम कासोरिया पटवार कासोरिया तहसील बनेड़ा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 के खतौनी संख्या 481 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 41-08 बीघा भूमि का प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजियात मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है –

1. छीतरमल पिता सोहनलाल महाजन सा. रूपाहेलीकला हाल मुकाम अशोकनगर भीलवाडा मु.वि.क एस. बी.आई एग्रीकल्चर कोमर्शियल शाखा जयपुर-

आ0न0	रकबा	लगान
60	23-05	10.46
61/1	0-01	-
60/2	0-01	-
कुल 3	रकबा 23-07	10.46


उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

2. अंकित पिता छीतरमल महाजन सा. रूपाहेलीकला हाल मुकाम अशोकनगर भीलवाडा मु.वि.क एस.बी. आई एग्रीकल्चर कोमर्शियल शाखा जयपुर-

आ0न0	श्रकबा	लगान
60 / 3	10-07	4.66
कुल 1	रकबा 10-07	4.66

3. अर्चित पिता छीतरमल महाजन सा. रूपाहेलीकला हाल मुकाम अशोकनगर भीलवाडा मु.वि.क एस.बी. आई एग्रीकल्चर कोमर्शियल शाखा जयपुर

आ0न0	श्रकबा	लगान
60 / 4	2-12	1.17
कुल 1	रकबा 2-12	1.17

4. शंकरलाल पिता रामदयाल महाजन सा. रूपाहेलीकला देह

आ0न0	रकबा	लगान
60 / 7	2-12	1.17
कुल 1	रकबा 2-12	1.17

5. पमपम पुत्री सनिलकुमार ना.बा.व.वि. माता सुमन पत्नि सुनिल कुमार महाजन सा0 रूपाहेलीकला


आ0न0	रकबा	लगान
60 / 6	1-05	0.56
कुल 1	रकबा 1-05	0.56

6. चन्द्रप्रकाश पिता जमनालाल महाजन सा0 रूपाहेलीकला

आ0न0	रकबा	लगान
60 / 5	1-05	0.56
कुल 1	रकबा 1-05	0.56

उपरोक्तानुसार भूमि में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 से 04 के मध्य क्रम संख्या 1 से 06 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 04 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 17.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।


(रमेश लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रेषित हो।


उपखण्ड अधिकारी
बनेडा (भीलवाडा)